कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/735-2001 - वि. 1 (3) दिनांक 6.11.2001

डी.ए.वी. सैन्टरी पब्लिक स्कूल, जाखल मण्डी (फतेहाबाद) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10वीं स्तर की सम्बधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एक्ट 1995 के जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

सुरिना राजन
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 7-11-2001

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेष्ति है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद को उनके पत्र क्रमांक स्था 3-2001/मूल/स्पैशल दिनांक 11-10-2001 के सन्दर्भ में।
2. मुख्यअध्यापक डी.ए.वी. सैन्टरी पब्लिक स्कूल जाखल मण्डी (फतेहाबाद)
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्यूनिटी सैन्टर प्रति बिहार, नई दिल्ली-110 002

अधीक्षक विद्यालय-।
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
हरियाणा, चण्डीगढ़